

प्रेस विज्ञप्ति
थाना-पवई

19 कि.ग्रा. अवैध गाँजा व एक मोटरसाईकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन व थानाध्यक्ष के कुशल नेतृत्व उ0नि0 सुनील कुमार सरोज उ0नि0 मनोज कुमार विश्वकर्मा मय हमराहियान के अपराध एवं अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान ग्राम मैनुद्वीनपुर निर्माणाधीन हाइवे पुलिया के नीचे पहुँचा था कि तभी मिल्कीपुर बाजार की तरफ से एक मोटर साईकिल आती दिखाई दिया जिसे पास आने पर हम पुलिस वाले ने टार्च की रोशनी से आते हुए वाहन को रोकने का इशारा किये कि मोटर साईकिल सवार हम पुलिस वालों को अचानक एका एक देखकर मोटर साईकिल को पीछे की तरफ मोड़कर भागने का प्रयास किया की हम पुलिस वाले उसे घेर मार कर पकड़ लिये तो देखा कि मोटर साईकिल के बायी ओर लगे पावदान की जाली में एक प्लास्टिक की बोरी बधी हुई है पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर पकड़ा गया व्यक्ति ने अपना नाम सुनील कुमार यादव उर्फ डब्लू यादव पुत्र तिलकधारी यादव निवासी ग्राम अम्बारी हाजीपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ बताते हुए मोटर साईकिल में बधी बोरी में गाजा होना बताया नियमानुसार सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के पास से अवैध गाजा 19 किलो ग्राम बरामद हुआ तथा अभियुक्त को नियमानुसार समय करीब 00.45 बजे दिनांक 15.10.2020को 1. सुनील कुमार यादव उर्फ डब्लू यादव पुत्र तिलकधारी यादव निवासी अम्बारी हाजीपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार करते हुए उ0नि0 श्री सुनील कुमार सरोज के लिखित तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 157/20 धारा 8/20 NDPS ACT विरुद्ध उपरोक्त के पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण - पूछताछ पर बताया कि मेरा नाम सुनील कुमार यादव उर्फ डब्लू पुत्र तिलकधारी यादव निवासी अम्बारी हाजीपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ जिसके कब्जे से 19 किलो ग्राम नाजायज गाजा व एक अदद मोटर साईकिल नं0 UP62BQ9202 बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

1- मु0अ0सं0 157/20 धारा 8/20 NDPS ACT थाना पवई जनपद आजमगढ़

.आपराधिक इतिहास - गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास निम्नवत है -

1. मु0अ0सं0 136/15 धारा 406 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 153/17 धारा 392 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 157/18 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोब बन्द क्रिया कलाप अधिनियम थाना बरदर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 583/17 धारा 379 भादवि थाना खेतासराय जनपद जैनपुर
5. मु0अ0सं0 585/17 धारा 392 भादवि खाना खेतासराय जनपद जैनपुर
6. मु0अ0सं0 1106/17 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द क्रिया कलाप अधिनियम थाना खेतासराय जनपद जैनपुर
7. मु0अ0सं0 657/17 धारा 307,419,420,467,468,471 भादवि थाना चन्दवक जनपद जैनपुर
8. मु0अ0सं0 658/17 धारा 25/3 आर्म्स एक्ट थाना चन्दवक जनपद जैनपुर
9. मु0अ0सं0 157/17 धारा 8/20 NDPS ACT थाना पवई जनपद आजमगढ़

थाना मुबारकपुर आजमगढ़

05 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 15.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र व उ.नि. अश्वनी कुमार मिश्र थाना मुबारकपुर मय हमराह द्वारा पर मु0अ0सं0- 215/20 धारा 147 ,323,325,506,452,336,379 भा.द.विसे सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. अमरजीत सिंह पुत्र जगदीश सिंह 2. दारा सिंह पुत्र जगदीश सिंह 3. अजय सिंह पुत्र जगदीश सिंह 4. अभिषेक सिंह पुत्र बच्चा सिंह 5. अश्वनी सिंह उर्फ दीपक सिंह पुत्र बच्चा सिंह निवासी गण डीह थाना मुबारकपुर आजमगढ़को ग्राम डिलिया मोड के पास से समय- 11.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण— अभियुक्तगण उपरोक्त पूछताछ से बता रहे हैं कि हम लोगो का जमीनी विवाद है हमारे जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं हम लोगो ने इंकार किया किया तो मेरे उपर फर्जी कहानी बनाकर मुकदमा किये हैं।

थाना-बरदह

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 15 .10.2020 को उपनिरीक्षक आसिफ मैं हमराही यान द्वारा मुखबिर की मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 60 बटा 2020 धारा 323 504 308 452 326 भादवि से संबंधित अभियुक्त वीरेंद्र यादव पुत्र विजय प्रसाद यादव निवासी ग्राम लीलाई थाना बरदा जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।